

—: आदेश :-

23-01-2014

श्री हिमांशु कुमार, पिता—श्री मधुसुदन प्रसाद, सा०—ढेलवा गोसाईं, प्रोफेसर कॉलोनी, पो+थाना—बाढ़, जिला—पटना द्वारा एक एन०पी०बोर रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2010 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०—09—893/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक—23.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे सरकारी संवेदक हैं और ठीकेदारी करते हैं। वर्ष 2008 में अपराधियों द्वारा उनसे रंगदारी की माँग की गयी थी, जिसके संदर्भ में बाढ़ थाना कांड सं०—05/08 दर्ज है। उनके छोटे भाई की भी हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी, जिसमें साक्ष्य नहीं देने हेतु अपराधियों द्वारा धमकी दी जा रही है, जिसके संदर्भ में बाढ़ थाना कांड सं०—335/09 दर्ज है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1593/गो०, दिनांक—28.12.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा थानाध्यक्ष—सह—पुलिस निरीक्षक, बाढ़ के मंतव्य से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुशंसित एवं अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, बाढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक सरकारी संवेदक हैं और ठीकेदारी करते हैं। वर्ष 2008 में अपराधियों द्वारा रंगदारी की माँग की गयी थी, जिसके संदर्भ में बाढ़ थाना कांड सं०—05/08 दर्ज है। उनके छोटा भाई की भी हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी, जिसमें साक्ष्य नहीं देने हेतु अपराधियों द्वारा धमकी दी जा रही है, जिसके संदर्भ में बाढ़ थाना कांड सं०—335/09 दर्ज है। तदोपरान्त आवेदक द्वारा अपने जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री हिमांशु कुमार, पिता-श्री मधुसुदन प्रसाद, सा0-ढेलवा गोसाई, प्रोफेसर कॉलोनी, पो+थाना-बाढ़, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित्त एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।